



राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांक: प.14(2082) बाढ/अतिवृष्टि/स्वी./सहा0/25/495

दिनांक : 01/10/25

**--:: प्रशासनिक स्वीकृति आदेश ::--**

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक: एफ.8(10)आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2025/ राजकाज 17914496 दिनांक 23.09.2025 द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुक्रम मे निम्न प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है।

**1. आंगनबाडी भवनों हेतु -**


बाल विकास परियोजना उपखण्ड राजसमंद ब्लॉक राजसमंद के 10 कार्यों हेतु राशि रूपयें 25.00 लाख, बाल विकास परियोजना उपखण्ड आमेट ब्लॉक आमेट के 19 कार्यों हेतु राशि रूपयें 47.50 लाख, बाल विकास परियोजना उपखण्ड भीम ब्लॉक भीम के 27 कार्यों हेतु राशि रूपयें 67.50 लाख, बाल विकास परियोजना उपखण्ड देवगढ़ ब्लॉक देवगढ़ के 16 कार्यों हेतु राशि रूपयें 19.90 लाख एवं बाल विकास परियोजना उपखण्ड कुम्भलगढ़ ब्लॉक कुम्भलगढ़ के 21 कार्यों हेतु राशि रूपयें 52.50 लाख कुल 93 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 212.40 लाख (अक्षरे रूपये दो करोड़ बारह लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है।

**2. चिकित्सा भवनों हेतु:-**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपखण्ड राजसमंद ब्लॉक राजसमंद के 10 कार्यों हेतु राशि रूपयें 20.00 लाख एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपखण्ड आमेट ब्लॉक आमेट के 03 कार्यों हेतु राशि रूपयें 6.00 लाख कुल 13 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 26.00 लाख (अक्षरे रूपये छबीस लाख मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है।

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Arun Kumar Hasija  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.10.01 15:14:46 IST  
Reason: Approved



**कार्यकारी विभाग- महिला एवं बाल विकास अधिकारीता विभाग**

**मरम्मत योग्य आंगनवाडी केन्द्र की सूचना**

**कार्यकारी विभाग- बाल विकास परियोजना उपखण्ड भीम**

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम / स्थान का नाम	(एसडीआरएफ नोर्म्स दर अनुसार मरम्मत हेतु स्वीकृति योग्य राशि (लाखों में))
1	आमेट	Anganwadi Center DHUKAL KHERA	2.50
2	आमेट	Anganwadi Center NANANA	2.50
3	आमेट	Anganwadi Center Agriya I	2.50
4	आमेट	Anganwadi Center Agriya II	2.50
5	आमेट	Anganwadi Center Agriya III	2.50
6	आमेट	Anganwadi Center Bhagwanpura	2.50
7	आमेट	Anganwadi Center Hawala	2.50
8	आमेट	Anganwadi Center Kotadi	2.50
9	आमेट	Anganwadi Center Parvati	2.50
10	आमेट	Anganwadi Center Lot ka guda	2.50
11	आमेट	Anganwadi Center AIDANA	2.50
12	आमेट	Anganwadi Center CHATRA JI KA GUDA	2.50
13	आमेट	Anganwadi Center DEVIO KI MERDA	2.50
14	आमेट	Anganwadi Center SAPRAV KA GUDA	2.50
15	आमेट	Anganwadi Center TANWAN	2.50
16	आमेट	Anganwadi Center NOHRA	2.50
17	आमेट	Anganwadi Center GUGLI	2.50
18	आमेट	आंगनवाडी नयाघर डेकवाडा	2.50
19	आमेट	आंगनवाडी केन्द्र जिलोला प्रथम	2.50
<b>कुल योग(1)</b>			<b>47.50</b>

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Arun Kumar Hasija  
 Designation : Collector & District  
 Magistrate  
 Date: 2025.10.05 15:14:46 IST  
 Reason: Approved

**कार्यकारी विभाग- बाल विकास परियोजना उपखण्ड भीम**

1	भीम	खिमाखेड़ा	2
2	भीम	डुंगावास	2
3	भीम	बालातों की गँवार	0.5
4	भीम	टोगी	0.5
5	भीम	बड़ों की रेल	0.5
6	भीम	मियालखेत-प्रथम	0.5
7	भीम	थानेटा	0.5
8	भीम	जेलवा	0.5
9	भीम	डुंगाजी का गांव	0.5
10	भीम	डांसरिया	0.5
11	भीम	गोदा जी का गांव	0.5
12	भीम	छोटी बरजाल	0.5
13	भीम	छिपोला	0.5
14	भीम	ढोला भाटा	0.5
15	भीम	आड़ावाला	2
16	भीम	कानियाना	0.5
17	भीम	मोटा गुढा	0.5
18	भीम	मण्डावर	2
19	भीम	ढाक का चोड़ा	0.5
20	भीम	समेलिया	1
21	भीम	तीतरी	1
22	भीम	ढोरेला	1
23	भीम	चेता	1
24	भीम	दिवेर-प्रथम	1
25	भीम	लाखा का गुढा-प्रथम	0.5
26	भीम	हमातों की गुंआर	0.5
27	भीम	धवाला कला	0.75
<b>कुल योग (2)</b>			<b>67.50</b>

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Arun Kumar Hasija  
 Designation : Collector & District  
 Magistrate  
 Date: 2025.10.06 15:14:46 IST  
 Reason: Approved

**कार्यकारी विभाग- बाल विकास परियोजना उपखण्ड देवगढ़**


1	देवगढ़	नराना	1
2	देवगढ़	बगतपुरा	0.2
3	देवगढ़	माद	1
4	देवगढ़	बुझडा	2
5	देवगढ़	लसानी-02	0.5
6	देवगढ़	देवपुरा वाणिया हाटडी	1
7	देवगढ़	रघुनाथपुरा	0.5
8	देवगढ़	सुरतपुरा	1
9	देवगढ़	खरनिया	0.5
10	देवगढ़	जीरण	2
11	देवगढ़	जेमाखेडा	2
12	देवगढ़	कुवारिया	2
13	देवगढ़	ताल-01	2
14	देवगढ़	तपालो का खेडा(उमराज)	2
15	देवगढ़	तीखी	0.2
16	देवगढ़	मीयाला	2
<b>कुल योग (3)</b>			<b>19.90</b>

**कार्यकारी विभाग- बाल विकास परियोजना उपखण्ड कुम्भलगढ़**

1	कुम्भलगढ़	गंवार	2.50
2	कुम्भलगढ़	आमेटा का वास	2.50
3	कुम्भलगढ़	मेघवाल बस्ती	2.50
4	कुम्भलगढ़	पीपाणा	2.50
5	कुम्भलगढ़	गोवल	2.50
6	कुम्भलगढ़	दोवास	2.50
7	कुम्भलगढ़	बारा	2.50
8	कुम्भलगढ़	उठडों की भागल	2.50
9	कुम्भलगढ़	बड़गाव	2.50
10	कुम्भलगढ़	खेडलिया	2.50

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Anil Kumar Hasija  
 Designation : Collector & District  
 Magistrate  
 Date: 2025.10.06 15:14:46 IST  
 Reason: Approved



11	कुम्भलगढ़	केसर	2.50
12	कुम्भलगढ़	परमारों की भागल	2.50
13	कुम्भलगढ़	देवी का वास	2.50
14	कुम्भलगढ़	गिटोरिया	2.50
15	कुम्भलगढ़	मोराणा	2.50
16	कुम्भलगढ़	टाडावाड़ा गुजरान	2.50
17	कुम्भलगढ़	अमरतीया	2.50
18	कुम्भलगढ़	चारभुजा	2.50
19	कुम्भलगढ़	झीलवाड़ा	2.50
20	कुम्भलगढ़	सुखार-ए	2.50
21	कुम्भलगढ़	सुखार-बी	2.50
कुल योग (4)			52.50
<b>कार्यकारी विभाग- बाल विकास परियोजना उपखण्ड राजसमंद</b>			
1	राजसमन्द	ऑगनवाडी केन्द्र पिपलिया	2.50
2	राजसमन्द	ऑगनवाडी केन्द्र तलाई का कुआ	2.50
3	राजसमन्द	ऑगनवाडी केन्द्र किरणपुर	2.50
4	राजसमन्द	ऑगनवाडी केन्द्र चिन्तामणी का मादडा	2.50
5	राजसमन्द	ऑगनवाडी केन्द्र भील बस्ती सापोल	2.50
6	राजसमन्द	ऑगनवाडी केन्द्र कनावदा	2.50
7	राजसमन्द	ऑगनवाडी केन्द्र भट्ट खेडा	2.50
8	राजसमन्द	ऑगनवाडी केन्द्र एमडी प्रथम	2.50
9	राजसमन्द	ऑगनवाडी केन्द्र डिप्टी खेडा	2.50
10	राजसमन्द	ऑगनवाडी केन्द्र फतहपुरा	2.50
कुल योग (5)			25.00
कुल योग (1-5)			212.40

(अक्षरे रूप्ये दो करौड बारह लाख चालीस हजार मात्र)

कार्यकारी एजेन्सी तकनीकि स्वीकृति अतिशीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें। ताकि वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकें।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Arun Kumar Hasija  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.10.06 15:14:46 IST  
Reason: Approved

मरम्मत योग्य चिकित्सा भवनों की सूचना			
कार्यकारी विभाग- मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपखण्ड राजसमंद			
क.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पति का नाम / स्थान का नाम	(एसडीआरएफ नोर्स दर अनुसार मरम्मत हेतु स्वीकृति योग्य राशि (लाखों में)
1	राजसमंद	दोवड	2.00
2	राजसमंद	सांगठकला	2.00
3	राजसमंद	बडारडा	2.00
4	राजसमंद	उमटी	2.00
5	राजसमंद	मादडी देवस्थान	2.00
6	राजसमंद	नाकली	2.00
7	राजसमंद	भाटोली	2.00
8	राजसमंद	बिनोल	2.00
9	राजसमंद	मोही	2.00
10	राजसमंद	राज्यावास	2.00
कुल योग (1)			20.00
कार्यकारी विभाग- मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपखण्ड आमेट			
1	आमेट	Khakhar malla	2.00
2	आमेट	SELAGUDDA	2.00
3	आमेट	RACHETI KHEDA	2.00
कुल योग (2)			6.00
कुल योग (1-2)			26.00

(अक्षरे रूप्ये छब्बीस लाख मात्र)

कार्यकारी एजेन्सी तकनीक स्वीकृति अतिशीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें। ताकि वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकें।

नोट - कार्यकारी विभाग द्वारा निम्नांकित निर्देशों/शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Arun Kumar Hasija  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.10.06 15:14:46 IST  
Reason: Approved

01. विभाग द्वारा प्रति सडकों की दर से राशि का निर्धारण एस0डी0आर0एफ0 नॉर्म्स अनुसार किया गया है, अतः सा0नि0 विभाग उन दरो से अधिक राशि का उपयोग सडकों की मरम्मत पर नहीं करे।
02. प्रस्ताव में उन्ही सडकों की मरम्मत करवायी जावें जो अस्थाई मरम्मत द्वारा ठीक करायी जा सकती है।
03. वे सडकों जो **Defect Liability Period** के तहत आती है, उनकी कीमत एस.डी.आर.एफ से देय नहीं है। जिन कार्यों की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु ठेकेदार या अन्य संस्था, एजेन्सी, प्राधिकारी उत्तरदायी है, उन कार्यों पर यह राशि व्यय नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जावे।
04. कार्यकारी विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
05. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एस.डी.आर.एफ. में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करे। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
06. कार्यकारी विभाग स्वीकृत कार्यों की अविलम्ब निविदा कर कार्य प्रारंभ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उदेश्य पूर्ण हो सके तथा कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में उपखण्ड स्तरीय समिति से कार्य का प्रमाणीकरण एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र व बिल दो प्रतियों में प्रमाणीकरण के पश्चात अनिवार्यतः भिजवाये जावे। बिल में विलम्ब होने पर भुगतान कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। **उक्त समस्त कार्यवाही वित्त वर्ष 2025-26 में ही किया जाना सुनिश्चित करे।**
07. कार्यकारी संस्था, उक्त कार्य राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, व सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ, ग्रामीण कार्य निर्देशित के दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना की जानी सुनिश्चित करे एवं आपदा प्रबन्धन सहायता एवं ना.सु विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं परिपत्रों के अनुसार कार्य किया जावे।
08. क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत हेतु किसी अन्य राज्य मद से स्वीकृति/बजट प्राप्त हुआ है तो उक्त सडकों की मरम्मत एस.डी.आर.एफ. से आवंटित बजट से नहीं की जावे।
09. उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवे कि कार्य एस.डी.आर.एफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
10. प्रस्तावो मे दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे कि क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Anil Kumar Hasija  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.10.06 15:14:46 IST  
Reason: Approved

11. स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे। स्वीकृत कार्यों के निरीक्षण/मूल्यांकन के निर्देशों के अनुरूप पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करे। कार्य प्रारम्भ से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि कार्य एवं व्यय सरकारी रीति-नीति अन्तर्गत व्यापक जनहित में है।
12. उक्त मरम्मत कार्य का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्न बजट मद से किया जायेगा-
  - 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
  - 02 - बाढ़, चक्रवात आदि
  - 106 - खराब सडकों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
  - (08) - (बाढ़ क्षेत्र में खराब सडकों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना)
  - [01] - [सडकों की मरम्मत एवं पुनः स्थापना]
  - 21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत व राज्य निधि 25 प्रतिशत)

जिला कलक्टर  
(आ0प्र0 सहा. एवं ना0सु0विभाग)  
राजसमन्द

क्रमांक: प.14(2081) बाढ़/अतिवृष्टि/स्वी./सहा0/25/  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

दिनांक:

01. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
02. मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार बजट आवंटन करवाने का श्रम करावे।
03. जिला कोषाधिकारी, राजसमन्द
04. उपखण्ड अधिकारी, भीम/देवगढ।
05. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त राजसमन्द
06. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड भीम।
07. तहसीलदार, भीम/देवगढ।
08. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भीम/देवगढ।
09. सहायक अभियन्ता, सा. निर्माण विभाग, उपखण्ड भीम/देवगढ।
10. अधिशाषी अभियन्ता/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता, जल संसाधन विभाग राजसमन्द/देवगढ।
11. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमन्द

जिला कलक्टर  
(आ0प्र0 सहा.एवं ना0सु0 विभाग)  
राजसमन्द

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Anil Kumar Hasija  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.10.05 15:14:46 IST  
Reason: Approved